

## उदय प्रताप कालेज, वाराणसी।

निविदा सूचना संख्या 0001 /UPCollege/2025-26

ई-निविदा सूचना संख्या: 0001 /UPCollege/Without material/2025-26

उदय प्रताप कालेज, वाराणसी द्वारा प्रस्तावित शिक्षण कक्षाओं (Without material) के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यों का विवरण उदय प्रताप कालेज, वाराणसी के वेबसाइट [www.upcollege.ac.in](http://www.upcollege.ac.in) पर देखा जा सकता है। पूर्व में निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 20.03.2026 को अपराह्न 02.00 बजे तक एवं निविदा खोले जाने की तिथि 24.03.2026 थी। महाविद्यालय में दिनांक 20.03.2026 को पूर्वाह्न में ही अप्रत्याशित घटना घट जाने के कारण महाविद्यालय लम्बे समय तक डिस्टर्ब रहा, अतः निविदा जमा करने की तिथि 27.08.2026 तक बढ़ायी जाती है। इच्छुक फर्म दिनांक 27.08.2026 तक अपराह्न 02.00 बजे तक अपना टेण्डर प्राचार्य कार्यालय, उदय प्रताप कालेज, वाराणसी में जमा कर सकते हैं। टेण्डर/निविदा फाइनैन्सियल बीड दिनांक 27.08.2026 को सायं 04.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।



प्राचार्य

Principal

Udai Pratap College  
Varanasi

## उदय प्रताप कालेज, वाराणसी।

निविदा सूचना संख्या 0001 / UPCollege/2025-26

ई-निविदा सूचना संख्या: 0001 / UPCollege/Without material/2025-26

उदय प्रताप कालेज, वाराणसी द्वारा प्रस्तावित शिक्षण कक्षाओं के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यों का विवरण उदय प्रताप कालेज, वाराणसी के वेबसाइट [www.upcollege.ac.in](http://www.upcollege.ac.in) पर देखा जा सकता है। पूर्व में निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 20.03.2026 को अपराह्न 02.00 बजे तक एवं निविदा खोले जाने की तिथि 24.03.2026 थी। महाविद्यालय में दिनांक 20.03.2026 को पूर्वाह्न में ही अप्रत्याशित घटना घट जाने के कारण महाविद्यालय लम्बे समय तक डिस्टर्ब रहा, अतः निविदा जमा करने की तिथि 27.08.2026 तक बढ़ायी जाती है। इच्छुक फर्म दिनांक 27.08.2026 तक अपराह्न 02.00 बजे तक अपना टेण्डर प्राचार्य कार्यालय, उदय प्रताप कालेज, वाराणसी में जमा कर सकते हैं। टेण्डर/निविदा फाइनैन्सियल बीड दिनांक 27.08.2026 को सायं 04.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। कार्यों का विवरण नियम व शर्तें निम्नवत है:-

नियम व शर्तें (Without material)

1. उदय प्रताप कालेज, वाराणसी में प्रस्तावित नवीन शिक्षण कक्षाओं के निर्माण हेतु ऐसे फर्म/टेकेदार जिनका पंजीकरण लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/आवास विकास विभाग/विकास प्राधिकरण में है, उनको अपना पंजीयन सर्टिफिकेट/रजिस्ट्रेशन स्लिप जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे फर्म/टेकेदार जो निजी संस्थाओं में इस तरह का एक करोड़ से ऊपर का कार्य करा चुके हों, तो उनको भी इस निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
2. निविदादाता का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है।
3. निविदा के साथ फर्म की आयकर एवं सेवाकर में पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. वर्ष-2024-25 में जी0एस0टी0 चालान द्वारा जमा की गयी रसीद की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. कार्य के दौरान राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
6. धरोहर धनराशि (Refundable) उदय प्रताप कालेज, वाराणसी के खाता संख्या 21087216219 IFSC Code: IDIB000U501 में RTGS/NEFT या नगद जमा किया जायेगा। कार्य के लागत का 2 प्रतिशत धनराशि धरोहर के तौर पर खाते में जमा किया जायेगा जिसकी रसीद टेण्डर के साथ जमा होगी, तभी टेण्डर को स्वीकृत किया जायेगा।
7. उदय प्रताप कालेज, वाराणसी में प्रस्तावित नवीन शिक्षण कक्षाओं के निर्माण हेतु 02 ब्लॉक हैं। A ब्लॉक - 6500 वर्गफुट, B ब्लॉक-11000 वर्गफुट का है।
8. उदय प्रताप कालेज, वाराणसी में प्रस्तावित नवीन शिक्षण कक्षाओं के निर्माण A ब्लॉक का 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि ₹0 31086.00, B ब्लॉक- का 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि ₹0 50898.00 जमा करना अनिवार्य है।
9. उदय प्रताप कालेज, वाराणसी में प्रस्तावित नवीन शिक्षण कक्षाओं के निर्माण में जो भी निविदादाता का दर न्यूनतम होगा। उनको एक सप्ताह के अन्दर 4 प्रतिशत धनराशि उदय प्रताप कालेज, वाराणसी के खाते में जमा करके उसकी रसीद कालेज के लेखा अनुभाग में जमा करना होगा।
10. उदय प्रताप कालेज, वाराणसी में प्रस्तावित शिक्षण कक्ष के निर्माण का कार्य एक या एक से अधिक फर्म/टेकेदार को दिया जा सकता है।
11. ₹0 500.00 टेण्डर फार्म शुल्क (Non Refundable) उदय प्रताप कालेज, वाराणसी के खाता संख्या 21087219492 IFSC Code IDIB000U501 में RTGS/NEFT या नगद जमा किया जायेगा, जिसकी रसीद फाइनैन्सियल बीड टेण्डर के साथ जमा करना होगा, तभी टेण्डर को स्वीकृत किया जायेगा।
12. निविदादाता प्रत्येक कार्यों का अलग-अलग निविदा शुल्क व धरोहर राशि अपने फर्म के नाम से जमा करेगा। यदि किसी निविदादाता द्वारा एक या अधिक कार्यों की निविदा का मूल्य या धरोहर राशि दूसरे कार्य की निविदा के मूल्य या धरोहर धनराशि में सम्मिलित कर जमा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक ही निविदा मान्य होगी। शेष निविदायें स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

13. उक्त टेण्डर को उदय प्रताप कालेज, वाराणसी की वेबसाइट [www.upcollege.ac.in](http://www.upcollege.ac.in) पर भी देखा जा सकता है।
14. यदि कूटरचित ढंग से तैयार किये गये दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए धरोहर की धनराशि जब्त कर फर्म/ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
15. निविदा हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखों की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
16. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित फर्म/ ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों/असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुबन्ध उसी समय निरस्त कर धरोहर की धनराशि जब्त करते हुए फर्म/ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
17. निविदाओं में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
18. कार्य में मात्रात्मक बदलाव की स्वीकृति धनराशि के अन्दर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
19. भवन निर्माण कार्य के कार्यों में अनुभवी फर्म/ठेकेदार जिसके पास अनुभवी मैनपावर/इक्यूपमेन्ट टूल्स की प्राप्ति स्केपफोल्डिंग पर्याप्त मात्रा में है, उसको प्रथम वरीयता दी जायेगी।
20. कार्य करने के पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्त के पश्चात कार्यों की फोटोग्राफ जियोटैगिंग पत्रावली में संलग्न की जाय तथा गुणवत्ता का परीक्षण भी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. निविदा स्वीकृत के उपरान्त सात दिन के अन्दर यदि कार्य का अनुबन्ध नहीं कराया जाता है तो बयाने की धनराशि जब्त कर कार्य निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है, जिसका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
22. उत्तर प्रदेश भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियामन) नियमावली-2009 के अनुसार कार्यों के निर्माण लागत का एक प्रतिशत की दर से उक्त कार्य (शेष) की धनराशि उत्तर प्रदेश भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को स्थानान्तरित की जायेगी, जिसके लिए एक प्रतिशत की कटौती की जायेगी, लेकिन उदय प्रताप कालेज, वाराणसी से कोई धनराशि देय नहीं होगी। फर्म/ठेकेदार को उप श्रमायुक्त कार्यालय में प्रत्येक कार्य का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा सफल निविदा को कार्य पर लगे श्रमिकों का उप श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर विभाग को सूचित करना होगा।
23. निविदादाता फर्म/ठेकेदार द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र निविदा के समय किया जाना आवश्यक है कि फर्म NGT, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म/ठेकेदार की होगी।
24. उक्त कार्य की गुणवत्ता की जाँच कालेज निर्माण समिति द्वारा की जायेगी।
25. भवन निर्माण, विद्युत कार्य व प्लम्बिंग आदि कार्य में किसी प्रकार की खामियाँ पाई जाती हैं व पानी का रिसाव (सीपेज) 03 वर्ष तक भवन में आता है तो गारन्टी के तौर पर कार्य का दो प्रतिशत धनराशि रोका रखा जायेगा या 03 वर्ष तक मरम्मत का कार्य फर्म/ठेकेदार के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
26. निर्माण कार्य के अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी तीन वर्ष तक सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य पूर्ण होने के तीन वर्ष के पश्चात जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
27. निर्माण कार्य की जाँच कालेज के निर्माण समिति से कराना अनिवार्य होगा। जाँच के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
28. किसी अथवा सभी प्राप्त निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार नियमानुसार उदय प्रताप कालेज निर्माण कमेटी में निहित होगा।
29. निविदा आमंत्रण कर्ता को परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है, जो समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा। सभी सम्भावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से कालेज की वेबसाइट पर निगरानी रखें।
30. अधिक जानकारी के लिए उदय प्रताप कालेज, वाराणसी के निर्माण कमेटी से सम्पर्क कर सकते हैं।
31. जिन फर्म/ठेकेदार द्वारा समय से अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाती है तो उन्हें समय से कार्य प्रारम्भ करते हुए निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाय। अनुबन्ध की कार्यवाही के उपरान्त सात दिवस में कार्य न करने वाली

19.8.26

RKM

B Singh

19/8/26

22

22

फर्म/ठेकेदार को काली सूची में डालते हुए द्वितीय फर्म/ठेकेदार के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

32. निविदा स्वीकृति के सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध नोटिस के सात दिन के अन्दर सम्बन्धित कालेज अभियन्ता/निर्माण समिति के कार्यालय में उपस्थित होकर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को काली सूची में डालते हुए द्वितीय फर्म/ठेकेदार के पक्ष में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
33. फर्म/ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ने पर किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
34. फर्म/ठेकेदार (जिसका पंजीयन लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण/आवास विकास विभाग/विकास प्राधिकरण में नहीं है) द्वारा विगत तीन वर्षों में एक करोड़ का कार्य (भवन निर्माण का कार्य) किसी भी सरकारी/प्राइवेट संस्था में अनुबन्ध के तहत किया गया है तो उसका अनुभव मान्य होगा।
35. फर्म/ठेकेदार के द्वारा विगत तीन वर्षों में एक करोड़ से अधिक का सरकारी/प्राइवेट कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
36. कार्यस्थल पर सभी श्रमिकों के सुरक्षा की जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना या नुकसान की स्थिति में कालेज प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।
37. निर्माण कार्य हेतु आवश्यक उपकरण मशीनरी आदि फर्म/ठेकेदार द्वारा स्वयं उपलब्ध कराया जायेगा।
38. कार्यस्थल पर फर्म/ठेकेदार एवं उनके कर्मचारियों को महाविद्यालय के नियमों एवं अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगा।
39. कार्यस्थल पर स्वच्छता एवं सुरक्षा बनाये रखना फर्म/ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
40. निविदा सम्बन्धी जानकारी प्राचार्य कार्यालय/निर्माण समिति से प्राप्त की जा सकती है। कालेज की वेबसाइट पर निविदा सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध न होने पर उदय प्रताप कालेज वाराणसी के प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
41. निविदा दस्तावेज उदय प्रताप कालेज के प्रशासनिक भवन में निविदा बॉक्स में सील बन्द लिफाफे में जमा होंगे।
42. टेक्निकल बीड एवं फाइनेन्सियल बीड का लिफाफा अलग-अलग होगा एवं दोनों लिफाफों पर टेक्निकल बीड व फाइनेन्सियल बीड, फर्म/ठेकेदार का नाम लिफाफे पर लिखना अनिवार्य होगा।

#### पेमेन्ट टर्म कण्डीशन

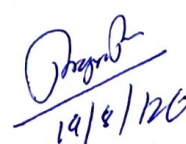
1. कार्य का 25 प्रतिशत भुगतान तब किया जायेगा जब 30 प्रतिशत कार्य पूरा हो जायेगा – जिसमें प्लिंथ (फुटिंग), प्लिंथ वीम और कॉलम स्लैब स्तर तक का कार्य शामिल होगा।
2. कार्य का 50 प्रतिशत भुगतान तब किया जायेगा, जब 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो जायेगा - जिसमें स्लैब, प्लास्टर (भीतर एवं बाहर) दीवारों आदि का कार्य शामिल होगा।
3. कार्य का 80 प्रतिशत भुगतान तब किया जायेगा जब 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो जायेगा - जिसमें प्लम्बिंग कार्य, वाटरप्रूफिंग तथा विद्युत (इलेक्ट्रिक) के कार्य शामिल होंगे।
4. कार्य का 90 प्रतिशत भुगतान तब किया जायेगा जब 100 प्रतिशत कार्य पूरा हो जायेगा - जिसमें दीवारों पर पुट्टी, पेंटिंग तथा सभी कार्यों की टेस्टिंग शामिल होंगी।
5. शेष 10 प्रतिशत भुगतान कार्य पूर्ण होने के 90 दिनों के बाद किया जायेगा।

सदस्य निर्माण कमेटी

  
19.8.26





  
19/8/26



  
प्राचार्य

